THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH (a) and (b)

S.No.	Name of the Project	Present Stateus/Remarks
1	Renewal of lease of Deulbeda Collery in Dhenkanal district.	Environmental clearance accorded on 22-6-92. Under process for decision under the Forest (Conservation) Act, 1980.
2	Renewal of Talcher Collery in Dhenkanal district.	Environmental clearance accorded on 22-6-92. Under process for decision under Forest (Conservation) Act, 1980.
3	Construction of Ong Dam irrigation project in Sambalpur district.	Rejected in January, 1986 due to non-submission of environmental data/ action plan.
4	Mining of Chromite in favour of Indian Metals and Ferro Alloys Lts. in Cuttack district.	Essential detail sought from State Government on 27-4-92. Reply awaited.
5	Mining lease for Chromite in favour of Shri B.C. Mohanty and Sons in Keonjhar district.	Essential details sought from State Government on 9-5-92. Reply awaited.
6	Brackish water fisheries (Parawn culture) project in Balasore district.	Rejected on merits on 17-7-92.
7	Manjore Medium Irrigation project in Dhenkanal district.	Under process.
8	Settlement of village of Satabhaya and Kanhupur in cuttack district.	Under process.

देश में बाघ परियोजनाएं

3820. **डा० अबरार अहमद** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी बाघ परियोजनाएं हैं और इन परियोजनाओं में प्रत्येक में कुल कितने बाघ हैं ;

(ख) वर्ष 1990, 1991 और 1992 के दौरान संगणना के अनुसार बाघों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) क्या हाल ही में किसी बाघ परियोजना में बाघों की संख्या में कमी आई है; यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उनमें बाघों की संख्या में कितनी कमी आई है और उसके क्या कारण हैं ; संबंधित वन अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) क्या रणथम्भौर बाघ परियोजना जोगीमहल में कार्यरत किसी कर्मचारी की हाल ही में हत्या हुई है, यदि हां तो क्या वन मंत्रालय द्वारा विशेषकर वहां मारे गये बाघों के संदर्भ में इस मामले की जांच के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है **(नीचे देखिये)** ।

(ग) किसी भी राज्य सरकार ने देश के किसी भी बाघ रिजर्व में बाघों की संख्या में कमी होने की रिपोर्ट नहीं दी है। लेकिन, हाल ही में, रणथम्भौर में अवैध शिकार किये जाने की कुछ रिपोर्टें मिली हैं। वहां पर अवैध शिकार की घटनाओं की जांच करने के लिए राजस्थान राज्य सरकार ने एक-एक सदस्यीय समिति नियुक्त की है और केन्द्रीय सरकार ने एक कृत्यक बल का गठन किया है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(घ) जी, हां। रणथम्भौर बाघ परियोजना में कार्यरत एक कर्मचारी 5-12-91 को रेलवे लाइन के निकट मृत पाया गया था। इस मामले की पहले ही रेलवे पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि वह क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आता है।

विवरण

देश में बाघ परियोजना क्षेत्रों की संख्या 18 है। सभी बाघ रिजर्वों में गणना सामान्यतः पांच वर्षों में एक बार की जाती है। 1989 में की गई ऐसी गणना के अनुसार, बाघों की संख्या इस प्रकार है :—

क्र०सं०	बाघ रिजर्व का नाम	बाघों की संख्या
1.	बांदीपुर	50
2.	कारबेट	91
3.	कान्हा	97
4.	मानस	92
5.	मेलघाट	77
6.	पलामू	55
7.	रणथम्भौर	41
8.	सिमलीपाल	93
9.	सुन्दरबन	269
10.	पेरियार	45
11.	सरिस्का	19
12.	बक्सा	33
13.	इन्द्रावती	28
14.	नागार्जुन सागर	94
15.	नामदफा	47
16.	दुधवा	90
17.	कालाकाड मुंडनयुराई	22
18.	वाल्मिकी	81
	कुल	1327

समुद्रीय जल में प्रदूषण

3821. **श्री शांति त्यागी :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत की तटीय सीमा से लगे समुद्र में औद्योगिक एककों से रसायन युक्त पानी के बहाव, कृषि भूमि से पानी के साथ बहकर आने वाले कीटनाशक पदार्थों के कारण समुद्र में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रदूषण से समुद्री जीवों के जीवन को खतरा पैदा हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। उद्योगों और घरेलू मलजल से होने वाले प्रदूषण के कारण समुद्री जीवों के लिए विशेषकर मैरीन आउट फाल के आसपास के समुद्री जीवों के लिए खतरा पैदा हो रहा है।

(ग) समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल है :—

(1) प्रदूषण के स्रोत स्थलों का पता लगाया गया है।

(2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तटीय जल के लिए मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

(3) जहां कहीं जरूरी होता है, उद्योगों/नगरपालिकाओं से डिफ्यूजर सिस्टम वाले मैरीन आउटफालों का निर्माण करने के निदेश दिए गए हैं।